न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/165/2025	2025/395	21.11.2025	30.03.2026

1. सोदानसिंह पुत्र श्री रामसहाय माली, उम्र करीब 45 वर्ष, उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग, पोस कोड 28803, ग्राम पंचायत मालपुर, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर (राज०)

–अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राज0)।

–रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थो का विनियम आदेश, 1976 एवं जिला रसद अधिकारी अलवर का पारित निलंबन आदेश एवं निर्णय दिनांक 09.06.2025

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट

02. श्री विभागीय पैरोकार –रैस्पोडेन्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 09.06.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट का पॉस कोड सं 28803 को निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट एवं विभागयी पैरोकार की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 09.6.2025 को प्रकरण सं. 06/2025 बअनुवान सरकार बनाम श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार में यह निर्णय पारित किया है कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर के एकपक्षीय निलबंन आदेश दिनांक 10.3.2025 व एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09.6.2025 के विरूद्ध अपील हाजा पेश की जा रही है। मिन अपीलान्ट को मातहत कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पारित उक्त हर दो आदेश दिनांक 10.3.2025 व 09.6.2025 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.11.2025 को मातहत कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर आने पर हुई, जिस पर मिन अपीलान्ट द्वारा आलोच्य एकपक्षीय आदेश व निर्णय की प्रति वास्ते विधिवत आवेदन दिनांक 12.11.2025 को पेश किया गया जिस पर नकल दिनांक 12.11.2025 को प्राप्त हुई जिस पर अपील हाजा बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। आलोच्य एकपक्षीय आदेश दिनांक 10.3.2025 एवं एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09.6.2025 की जानकारी दिनांक 12.11.2025 तक का समय लाईल्मी करार दिया जाकर अपील अन्दर अवधि करार दिये जाने योग्य है। रफाये हुज्जत पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा प्रकरण सं. 06/2025 में अपीलान्ट को ना तो जांच रिपोर्ट बाबत अवगत कराया, ना ही अपीलान्ट का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, ना ही निलंबन आदेश दिनांक 10.3.2025 बाबत कोई नोटिस दिया गया, ना ही निर्णय दिनांक 09.6.2025 की कोई सूचना दी गई। दिनांक 04.3.2025 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान 1/3 भाग ग्राम पंचायत मालपुर व तत्समय अटैचमेन्ट पोस कोड 24919 की जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर आई थी, जिस समय की गई जांच कार्यवाही में अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का उचित मूल्य सामग्री का स्टॉक पूरा था, किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं ही थी, जिस बाबत निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया गया था जिसमें उचित मूल्य सामग्री गेहूं पोस मशीन में स्टॉक 47 क्वि. था जो कि भौतिक सत्यापन में 47 क्वि. ही पाया गया एवं अटेचमेन्ट उचित मूल्य दुकान पोस कोड सं. 24919 का पोश

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

मशीन में स्टॉक 33443.060 किग्रा था और मौके पर भी पूरा स्टॉक था लेकिन प्रकरण बनाने की नियत से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की जाकर स्टॉक शून्य दिखाया गया जबकि तत्समय वक्त जांच अटैचमेन्ट दुकान में रिपेयर/दीवारों के प्लॉस्टर का कार्य हो रहा था जिस कारण स्टॉक बगल के परिसर रखा हुआ था, जो तत्समय प्रवर्तन निरीक्षक को दिखा गया था के बावजूद प्रवर्तन निरीक्षक ने उक्त बाबत गलत जांच रिपोर्ट तैयार की जाकर कार्यालय जिला रसद अधिकारी अलवर में पेश की गई जिसके उपरान्त अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर हर दो आदेश व निर्णय पारित किये गये, जो निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट को आज दिनांक तक जांच कार्यवाही दिनांक 04.3.2025 की बाबत कोई निलबंन आदेश दिनांक 10.3.2025 एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.5.2025 के जारी नहीं किये गये, ना ही प्राप्त हुए है, ना ही आलोच्य एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09.6.2025 का कोई नोटिस अपीलान्ट को जारी किया गया, ना ही प्राप्त हुआ है, जिस कारण से आलोच्य निर्णय काबिल निरस्तनीय है।

जांच रिपोर्ट दिनांक 04.3.2025 के उपरान्त जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पत्रावली में मौजूद कारण बताओ नोटिस दिनांकित 10.3.2025 जो कभी मिन अपीलान्ट को जारी नही किया, ना ही प्राप्त हुआ में निम्न 03 आरोप मिन अपीलान्ट पर विरचित किये गये है, जिनके जवाब निम्न है

1. वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

जवाब – उक्त आरोप गलत है। वक्त जांच प्रवर्तन निरीक्षक को प्राधिकार पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जिसके उपरान्त प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कार्यवाही में अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का उचित मूल्य सामग्री का स्टॉक पूरा पाया था, किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई जाकर निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया गया था जिसमें उचित मूल्य सामग्री गेहूं पोस मशीन में स्टॉक 47 क्वि. व भौतिक सत्यापन में 47 क्वि. दर्ज किया गया है।

2. वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया।

जवाब – उक्त आरोप गलत है। वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन हो रहा था, जिस बाबत प्रवर्तन निरीक्षक ने निरीक्षण प्रपत्र में मूल्य सूची स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड का संधारण किये जाने वाले प्रश्न के आगे हाँ दर्ज किया गया है।

3. मौके पर उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन के दौरान पोस मशीन में 33443.06 किग्रा स्टॉक उपलब्ध था, जो कि भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक शून्य पाया गया।

जवाब – उक्त आरोप गलत है। अटेचमेन्ट उचित मूल्य दुकान पोस कोड सं. 24919 का पोश मशीन में स्टॉक 33443.060 किग्रा था और मौके पर भी पूरा स्टॉक था लेकिन प्रकरण बनाने की नियत से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की जाकर स्टॉक शून्य दिखाया गया जबकि तत्समय वक्त जांच अटैचमेन्ट दुकान में रिपेयर/दीवारों के प्लॉस्टर का कार्य हो रहा था जिस कारण से उपलब्ध समस्त स्टॉक 288 क्वि. बगल के परिसर रखा हुआ था। शेष 46 क्वि. स्टॉक अटेचमेन्ट दुकानदार राजेश से अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ था, पोस मशीन में दर्ज चला आ रहा था, जो तत्समय प्रवर्तन निरीक्षक को दिखा गया था के बावजूद प्रवर्तन निरीक्षक ने उक्त बाबत गलत जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक ने भी उक्त तथ्यों से संतुष्ट होकर अपने पत्र दिनांक 01.7.2025 जो जिला रसद अधिकारी अलवर को दिया गया, में अपीलान्ट को अटेचमेन्ट डीलर राजेश कुमार द्वारा 46 क्वि. प्रदान नहीं करने, उक्त का गबन करना पाए जाने के चलते राजेश कुमार के विरूद्ध पीडीआर एक्ट 1952 के तहत वसूली किया जाना प्रस्ताविक किया है।

मिन अपीलान्ट के द्वारा 288 क्वि. उचित मूल्य सामग्री गेहू को अटेचमेन्ट डीलर कृष्णलाल पोस कोड 28805 को संभलवाया जा चुका है जिसके हस्तान्तरण प्रपत्र की प्रति संलग्न है। मिन अपीलान्ट अपनी 1/3 उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत मालपुर का संचालन कर रहा है, जिसका समस्त स्टॉक पूर्ण है, कोई किसी प्रकार का गबन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा नहीं पाया गया है, जिस कारण से अपीलान्ट के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं बनता थी। मिन अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पोस कोड 28803 पर 5.62 क्वि. उचित मूल्य गेहूं मौजूद है, जिसे अटेचमेन्ट डीलर द्वारा प्राप्त नही किया गया है, जिस बाबत एकपक्षीय आलोच्य निर्णय में बेजा तथ्य वर्णित किये गये है, जो वास्तविकता से परे है जिस कारण से भी आलोच्य निर्णय अपास्त फरमाए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

आलोच्य निर्णय में दर्ज अनुसार अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 10.3.2025 को एकपक्षीय रूप से निलंबित किया गया था जो कि 90 दिवस में अर्थात 10.6.2025 तक स्वतः ही विधिक रूप से बहाल होना चाहिए था। केवल 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है, 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता है, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। जैसा कि श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.09.2008 एवं 07.07.2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है।

Raj- Foodgrains & Other Ess- Art- (Regu- of Distri.) Order 1976 के सैक्टर 8 के क्लॉज 2 के अनुसार "No order of cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of stating his case."

अपीलान्ट वर्ष 2006 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। मिन अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध किसी उपभोक्ता की आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं रही है, ना ही मौजूदा प्रकरण में है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट के समक्ष भारी आर्थिक विषमताऐं उत्पन्न हो गई है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट व उसके परिवार की गुजर बसर होती है। न्यायहित में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है।

प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ निर्णय या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण से एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09.6.2025 निरस्त फरमाये जाने योग्य है एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण सं. 06/2025 बअनुवान सरकार बनाम सोदानसिंह उ.मू.दु. में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09.6.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस कोड 28803) का प्राधिकार पत्र सं. 1412/2006 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है, पीडीआर एक्ट 1952 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये है, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए अपीलान्ट, उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग, पोस कोड 28803, ग्राम पंचायत मालपुर, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर (राज०) को उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण (सप्लाई) चालू करने का आदेश एवं अन्य न्यायोचित आज्ञा व आदेश जो भी अपीलान्ट के पक्ष में माननीय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करें।

विभागीय परोकार ने अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रवर्तन निरीक्षक गोविन्दगढ द्वारा 04.03.2025 को डीलर की दुकान व अटैच दुकान पोर्सकोड 24919 की जांच की गई। जांच किए जाने पर अटैच पोस मशीन संख्या 24919 में पाई गई अनियमितताओं के कारण विभागीय प्रकरण दर्ज कर डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड का प्रर्दशन नहीं पाया गया। मौके पर उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन के दौरान पोस मशीन मे 33443.06 कि.ग्रा. गेंहू उपलब्ध स्टॉक था जो भौतिक सत्यापन में शून्य पाया गया। उक्त राशन डीलर द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक गोविन्दगढ के द्वारा पोस मशीन संख्या 28803 व 24919 स्टॉक हस्तांतरण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अप्रार्थी डीलर द्वारा केवल पोस मशीन 28803 को ही अटैच डीलर को संभलवाया गया जबकि उक्त मशीन मे दर्ज स्टॉक 5.62 किं गेंहू एवं पोस कोड सं 24919 में दर्ज स्टॉक 3443.060 कि.ग्रा. गेंहू को अटैच डीलर को नहीं संभलवाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त गेंहू का दुरूपयोग किया गया है। राशन डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं 8, 11 व 18 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः अधिनस्था न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2025 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलांट ने आदेश दिनांक 09.06.2025 के विरूद्ध दिनांक 19.11.2025 को पेश किया गया है जो लगभग 5 माह विलम्ब से अपील पेश की गई है। प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट ने अपील पेश कर तर्क किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2025 एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.05.2025 अपीलांट को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय 09.04.2025 को बिना सुने व विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। वक्त जांच प्रवर्तन निरीक्षक को प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके उपरान्त प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कार्यवाही में अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का उचित मूल्य सामग्री का स्टॉक पूरा पाया था, किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही पाई गई और उचित मूल्य सामग्री गेंहू पोस मशीन में स्टॉक 47 क्वि. व भौतिक सत्यापन में 47 क्वि. दर्ज किया हुआ था। यह कहना गलत है कि वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं हो रहा था परन्तु बोर्ड पर हां दर्ज किया हुआ था। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त कथन भी गलत है कि अटैचमेंट उचित मूल्य दुकान पोस कोड सं. 24919 का पोस मशीन में स्टॉक 33443.060 कि.ग्रा. था। मौके पर पूरा स्टॉक था लेकिन प्रकरण बनाने की नियत से प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा गलत रिपोर्ट पेश कर स्टॉक शून्य दिखाया गया जबकि तत्समय वक्त जांच अटैचमेंट दुकान में रिपेयर/दीवारों के प्लास्टरों का कार्य हो रहा था जिस कारण से उपलब्ध समस्त स्टॉक 288 क्वि. बगल के परिसर में रखा हुआ था तथा शेष 46 क्वि. स्टॉक अटैचमेंट दुकानदार राजेश से अपीलांट को प्राप्त नहीं हुआ था जो पोस मशीन में दर्ज चला आ रहा था। प्रवर्तन निरीक्षक ने भी उक्त तथ्यों से संतुष्ट होकर अपने पत्र दिनांक 01.07.2025 जो जिला रसद अधिकारी अलवर को दिया गया में अपीलांट को अटैचमेंट डीलर राजेश कुमार द्वारा 46 क्वि. प्रदान नहीं करने का उक्त का गबन करना पाए जाने के चलते राजेश कुमार के विरूद्ध पीडीआर एक्ट 1952 के तहत वसूली किया जाना प्रस्तावित किया गया है और मिन अपीलांट के द्वारा 288 क्वि. उचित मूल्य सामग्री गेंहू को अटैचमेंट डीलर कृष्ण लाल पोसकोड सं. 28805 को संभलवाया जा चुका है। अपीलांट अपनी 1/3 उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत में माल का संचालन कर रहा था। जिसका समस्त स्टॉफ पूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय निलंबन आदेश व एकपक्षीय निर्णय दुर्भावनापूर्ण पारित किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 04.03.2025 को श्री सोदानसिंह उचित मूल्य दुकानदार मालपुर तहसील गोविन्दगढ़ पोस मशीन सं. 24919 की जांच की गई। उचित मूल्य दुकानदार के भौतिक सत्यापन के वक्त पोस मशीन में 33443.060 कि.ग्रा. उपलब्ध स्टॉक था जो भौतिक सत्यापन में शून्य पाया गया और दिनांक 09.06.2025 को अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी रसद द्वारा अपीलांट सोदानसिंह उचित मूल्य दुकानदार पोसकोड 28803 ग्राम पंचायत मालपुर तह. गोविन्दगढ जिला अलवर को जारी प्राधिकार पत्र सं. 1412/2006 की समस्त देनदारी निलंबित रखते हुए निरस्त किया गया। परन्तु प्रवर्तक निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025 में अंकित किया गया है कि उचित मूल्य दुकानदार सोदानसिंह पोसकोड सं 28803 को 334 क्वि. गेहूं के गबन के आरोप में निलम्बित कर दिया गया था। दिनांक 30.06.2025 को उचित मूल्य दुकानदार सोदानसिंह द्वारा अटैच उचित मूल्य दुकानदार कृष्ण लाल नागपाल पोसकोड 28805 को 288 क्वि. गेहूं दे दिया गया एवं शेष 46 क्वि. गेहूं मूल डीलर राजेश कुमार पोसकोड 24919 के पेटे में से सोदानसिंह को अटैचमेंट के समय कम दिया गया। अतः 46 क्वि. गेहूं का गबन राजेश कुमार पोसकोड सं. 24919 के द्वारा किया गया है। इनके विरूद्ध पीडीआर एक्ट 1952 के तहत वसूली की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट सोदानसिंह उचित मूल्य दुकानदार पोसकोड सं. 28803 के द्वारा किसी प्रकार का गबन किया जाना नहीं पाया गया है एवं अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का विधिवत अवसर नहीं दिया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 09.06.2025 निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट श्री सोदानसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम मालपुरा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर का प्राधिकार पत्र नियमानुसार बहाल किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

(डॉ० आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)
(राजस्थान)